

देश के फा एवं
कार्यवा

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

आदेश पर की
गई कार्यवाही

3

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

अधिहरण वाद संख्या-07/2020-21

राज्य सरकार -बनाम- हिलीन्दर कुमार वगै०

-: आदेश :-

दिनांक 24.08.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में विपक्षीगण अपने दो प्रतिभूति एवं बंध-पत्र के साथ उपस्थित।


(1) विपक्षी अवधेश यादव ट्रक संख्या BR10GB/3187 की ओर से दो प्रतिभूति एवं बंध-पत्र दाता (i) शिव शंकर कुमार, पे०-नाथुराम डकौत, सा०-मानिकपुर टोला, फूलचौक पीरपैती, थाना-पीरपैती, जिला-भागलपुर ट्रक संख्या BR10GB/9006, का ऑनर बुक, बीमा प्रमाण पत्र, (ii) मुकेश कुमार यादव, पे०-रामनाथ यादव, सा०-मजरोही, पीरपैती, थाना-पीरपैती, जिला-भागलपुर ट्रक संख्या BR10GB/3191 का ऑनर बुक एवं बीमा प्रमाण पत्र की छाया प्रति।


(2) विपक्षी कपिल देव मंडल ट्रैक्टर संख्या BR10GB/0477 की ओर से दो प्रतिभूति एवं बंध-पत्र दाता (i) फूल कुमार मंडल, पिता-स्व० किशन मंडल, सा०-अमरपुर, एकचारी, थाना-कहलगॉव, जिला-भागलपुर ट्रैक्टर संख्या BR10GA/1504, का ऑनर बुक, बीमा प्रमाण पत्र, (ii) रोहित कुमार कापरी, पे०-रामवृक्ष कापरी, सा०-रानी दियारा, थाना-पीरपैती, जिला-भागलपुर ट्रैक्टर संख्या BR10GB/6730 का ऑनर बुक एवं बीमा प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

मिर्जाचौकी थाना कांड संख्या 44/2020 दिनांक 15.06.2020 में विपक्षीगण के जप्त ट्रक संख्या (1). BR10GB/3187 एवं ट्रैक्टर संख्या (2). BR10GB/0477 को अस्थायी रूप से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाता है कि वे न्यायालय द्वारा आदेश किये जाने पर उक्त ट्रक को न्यायालय के समक्ष उपलब्ध करावेंगे। प्रतिभूति बंध-पत्र दाता के जिम्मेनामा पर जप्त ट्रकों को मिर्जाचौकी थाना कांड संख्या 44/2020 दिनांक 15.06.2020 को The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 का 11(V) के अन्तर्गत जप्त ट्रैक्टर एवं ट्रक को जप्ती से अस्थायी रूप से मुक्त किया जाता है। यदि न्यायालय के आदेश के पश्चात विपक्षीगण द्वारा गाड़ी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कराया जाता है, तो गाड़ी के लिए दिये गये बंध-पत्र प्रतिभूति गाड़ी दाता को न्यायालय में आदेशानुसार जमा करना अनिवार्य होगा।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, मिर्जाचौकी को अनुपालन हेतु भेजें। साथ ही उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे उचित पहचान एवं ऑनर बुक ट्रक संख्या (1). BR10GB/3187 एवं ट्रैक्टर संख्या (2). BR10GB/0477 को उचित प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षर करारक एवं पहचान पर हस्तगत करावेंगे। साथ ही हस्तगत संबंधी प्रतिवेदन न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसकी प्रति पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

अभिलेख दिनांक 26/11/21 को रखें।
लेखापित एवं संशोधित।


उपायुक्त,
साहेबगंज।


उपायुक्त,
साहेबगंज।

संख्या-
223/5108/21
29.10.21